

न्यायालय—सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी—सिराज अली)

आप. प्रक. क.—583 / 2012

संस्थित दिनांक—17.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

ठाकुर प्रसाद पिता रामू कुसरे, जाति गोंड, उम्र 28 वर्ष,

निवासी—मुण्ड घुसरी बाधा टोला, पुलिस थाना बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—11 / 11 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324(दो बार), 506 भाग—दो के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—25.06.2012 को सुबह 7:00 बजे ग्राम मुण्ड घुसरी थाना बिरसा अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत जयसिंह एवं डिलेश को कुदाली से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—25.06.2012 को सुबह 7:00 बजे ग्राम मुण्ड घुसरी थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी जयसिंह अपने खेत पर धान बोने गया था तो आरोपी ने उसे हमारे खेत में कब्जा करता है कहकर कुदाली से मारपीट किया, जिससे उसे बांये बकखे में चोट आयी। घटना के समय फरियादी का भाई डिलेश जब बीच—बचाव करने आया तो आरोपी ने उसे भी कुदाली से मारपीट किया, जिससे उसे बांये हाथ की कलाई एवं सिर में चोट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी जयसिंह द्वारा पुलिस थाना बिरसा में किये जाने पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.—75/2012 अंतर्गत धारा—294, 323, 324, 506 भाग—दो भा.दं.सं. का पंजीबद्ध कर आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये, आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324 (दो बार), 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने

जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहतगण जयसिंह व डिलेश ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध शमनीय अपराध धारा-294, 506 भा.द.वि. का समन कर शेष अशमनीय अपराध धारा-324 भा.द.वि. के अंतर्गत विचारण पूर्ण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.06.2012 को सुबह करीब 07:00 बजे ग्राम मुण्डखुसरी थाना बिरसा अंतर्गत आहत जयसिंह व डिलेश को खतरनाक साधन के रूप में कुदाली से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत जयसिंह कुसरे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय उसका ठाकुर प्रसाद के साथ वाद-विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उसने थाना बिरसा में की थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे आरोपी ने कुदाली से बांये बक्खे में मारा था तथा उसके भाई डिलेश को भी कुदाली से मारपीट किया था। साक्षी ने उसके द्वारा लिखायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा कुदाली से मारने वाली बात बताये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी के साथ उसका राजीनामा होने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिए सच बात नहीं बता रहा है। इस प्रकार साक्षी स्वयं आहत होते हुए भी अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

6- आहत डिलेश कुसरे (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय उसका आरोपी ठाकुर प्रसाद से मौखिक वाद-विवाद हो गया था तथा लामा-झुमी में उसके दाहिने हाथ और सिर पर चोट आयी थी। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके भाई और उसे कुदाली से मारपीट किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, किन्तु साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह राजीनामा होने के कारण न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 से इंकार करते हुये जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का

किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया।

7— उपरोक्त फरियादी/आहत जयसिंह कुसरे (अ.सा.1) एवं डिलेश कुसरे (अ.सा.2), जो कि मामले के महत्वपूर्ण साक्षीगण हैं, उनके द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। मामले में अभियोजन ने अपने समर्थन में अन्य शेष साक्षीगण का परीक्षण नहीं कराया है। इस प्रकार मामले में उक्त आहतगण की साक्ष्य पेश की गई है, जिनके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से एवं आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य प्रकट न करने के कारण साक्ष्य के अभाव में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आहत जयसिंह व डिलेश को खतरनाक साधन के रूप में कुदाली से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 (दो बार) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुदाली मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट